उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ

परिपत्रांक – सी-129 /लेखा/16–17 दिनांक 31 .03.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश

विषयः–सदस्यों को उनके जमा अंशधन पर लाभांश का भुगतान तथा अनुदान का समायोजन।

बैंक की सामान्य निकाय की बैठक दिनांक –14.11.2016 द्वारा पारित प्रस्ताव सं0–3 में लिये गये निर्णय के अनुसार सदस्यों के जमा अंशधन पर वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का लाभांश कमशः 3.75%,3.75% एवं 2.75% की दर से घोषित किया गया है। शाखा के उन समस्त ऋणी सदस्यों को उनके जमा अंशधन पर वर्ष 2013–14,2014–15 एवं 2015–16 में कमशः 3.75, 3.75 एवं 2.75 प्रतिशत की दर से लाभांश भुगतान किया जायेगा, जो पूरे वर्ष बैंक में जमा रहीं है। छः माह से अधिक परन्तु 01 वर्ष से कम अवधि की जमा अंशराशि पर छः माह का लाभांश अर्थात घोषित दर का 1/2 भाग भुगतान/समायोजन किया जायेगा।

वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के देय लाभांश की लेखा प्रविष्टि निम्नवत् की जायेगीः–

(क) उक्त वर्ष की कुल देय लाभांश की राशि से "प्रधान कार्यालय सामान्य खाते" को डेबिट करते हुये " देय लाभांश खाते" को केडिट किया जायेगा।

(ख) लाभांश की जितनी धनराशि भुगतान/समायोजित की जायेगी उतनी धनराशि से देय लाभांश खाते को डेबिट करते हुये ऋण के सापेक्ष वसूली अथवा नकद (जैसी भी स्थिति हो) खाते को केडिट किया जायेगा।

2– प्रधान कार्यालय के विभिन्न परिपत्रों द्वारा ऋणी सदस्यों को उनके जमा अंशधन पर घोषित लाभांश के भुगतान /समायोजन के निर्देश दिये गये है,परन्तु शाखाओं में अब भी धनराशि समायोजन हेतु अवशेष है। बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद असमायोजित लाभांश की धनराशि का भुगतान/समायोजन न होना चिन्ताजनक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी दशा में दिनांक 31.03.2017 तक कोई भी धनराशि इस मद में असमायोजित न रह जाये।

3– लाभांश भुगतान /समायोजन के समय इस बिन्दु पर भी ध्यान रखा जाये कि ऐसे ऋणी सदस्य जिनकी समस्त किश्तें अदा हो जाने अथवा किसी अन्य कारण से ऋण खाते बन्द हो गये हैं एवं उनके अंशधन पर लाभांश देय है तो ऐसे लाभांश का भुगतान नियमानुसार ऋणी सदस्यों को कर दिया जाये।

कमशः–2 पर

4– शाखाओं से प्राप्त 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुये वर्ष के संतुलन पत्रों से स्पष्ट होता है कि सब्सिडी / सण्ड्री खाते में भी अत्यधिक धनराशि असमायोजित पड़ी है। ऐसी असमायोजित धनराशि पर नाबार्ड एवं लेखा परीक्षा द्वारा गम्भीर आपत्ति उठाई गई है। अतः ऐसी धनराशि जिसका समायोजन नियमानुसार किया जा सकता है दिनांक–31.03.2017 तक अवश्य समायोजित कर दी जायें।

उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

31.3.17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जनपदीय /मण्डलीय पर्यवेक्षक उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0–लखनऊ
2. समस्त अधिकारीगण,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ।
3. प्राचार्य,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रशिक्षण केन्द्र ,लखनऊ।
4. उप महाप्रबंधक(कम्प्यूटर) को Email के माध्यम से समस्त शाखाओं में प्रेषित करने हेतु।

(ए0के0शुक्ला)
महाप्रबन्धक